upload

# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

**अपील संख्या : 14/2018 गुण्डा नियंत्रण एक्ट**

अनवानी :– दीपक कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं06, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

––––– अपीलांट

–– बनाम ––

स्टेट ऑफ राजस्थान ।

––––– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री ज्ञानसिंह — अभिभाषक अपीलान्ट
श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से ।

**निर्णय** **दिनांक 22.10.19**

1. यह अपील राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6(1) के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 9.10.18 जिसके द्वारा अपीलान्ट को राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.1.2013 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष राज. गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत अपीलार्थी दीपक कुमार पुत्र श्री राजकुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं06, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर के विरूद्व इस्तगासा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि गैरसायल जुआ सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है तथा भविष्य में और भी आपराधिक कृत्य की सम्भावना है। गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसके विरुध्द रोजनामचा आम में दिनांक 4.10.12 को रपट सं0226 भी अंकित की गयी है । इनके रिध्द जुआ अधिनियम के कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए जिनमें 2 मुकदमों में न्यायालय द्वारा सजायाब फरमाया गया है । गैरसायल गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) की श्रेणी में आता है । अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।

3. उपर्युक्त इस्तगासा प्रस्तुत होने पर न्यायालय अति.जिला मजिस्ट्रेट,(नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट के निमित आरोपों की सूचना हेतु नोटिस क्रमांक 174/28.1.13 जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10.6.13 को उपस्थित होने के पश्चात् दिनांक 9.10.18 तक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 9.10.18 को निर्णय परित कर अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3 की उप धारा 1 के खण्ड (क)(ख) और (ग) में विरचित तीनों आरोप सिध्द मानते हुए धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर अपीलान्ट को जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर थानाधिकारी पुलिस थाना, हनुमानगढ जं0 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने व मुख्यालय हनुमानगढ में रहने के आदेश दिये । न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, (नगर) श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 9.10.18 के विरुध्द गुण्डा नियत्रंण अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया । प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।

5. अभिभाषक अपीलान्ट का अपनी बहस में कथन है कि अपीलार्थी के विरुध्द राजस्थान पब्लिक गैंबलिंग अधिनियम के तहत थानाधिकारी, पुलिस थाना, श्रीकरणपुर द्वारा 7 मुकदमे दर्ज किये गये थे, जिनमें न्यायालय द्वारा 2 मुकदमों में सजायाब कर जुर्माना लगाया गया है । अपीलान्ट को न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(नगर) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.18 द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियिम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाकर 6 माह की अवधि के लिए जिला श्रीगंगानागर से निष्कासित कर थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढजं0 में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में अपीलान्ट द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढजं0 में उपस्थिति दर्ज करवाई जाकर 6 माह के लिए मुख्यावास हनुमानगढ में नेक चलनी से निवास किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से बिना गुणदोष का विवेचन किये, अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर निरस्त फरमाई जावे ।

6. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट के विरुध्द कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा 2 मुकदमों में अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । प्रकरण में गुण्डा नियंत्रण एक्ट की धारा 3(1) की उप धारा ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट स्थितियों को सिध्द करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रपट रोजनामचा आम दिनांक 4.10.12 के अनुसार गैर सायल जुआ सट्टे का आदि है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है । मौहल्ले के लोगों को धमकाता है, जिसके कारण अपीलान्ट का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके

खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/ बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हें 6 माह के लिए जिले से निष्कासित किया गया था । अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा 6 माह निष्कासन अवधि में पूरी कर ली है, किन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर निरस्त फरमाई जावे ।

7. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्यरुप से कथन है कि अपीलाधीन आदेश की पालना में अपीलान्ट द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जं0 में उपस्थिति दर्ज करवाई जाकर 6 माह के लिए हनुमानगढ जं0 में नेक चलनी से निवास किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना हो जाने से बिना गुणदोष का विवेचन किये, अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे । हम अभिभाषक अपीलान्ट के कथन से सहमत नहीं हैं, क्योंकि अपीलान्ट द्वारा 6 माह के निष्कासन अवधि में हनुमानगढ जं0 में नेक चलनी से निवास करने के सम्बन्ध में थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ जं0 का कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में हम अपील का गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं ।

8. प्रकरण अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा दिनांक 28.1.13 के अनुसार अपीलार्थी के विरुध्द जुआ अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत 7 मुकदमे दर्ज होकर निम्नांकित 2 मुकदमों में न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है:–

| क.सं. | मु.नं. व दिनांक | धारा | न्यायालय निर्णय दिनांक | नतीजा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60/22.4.07 | 13 RPGO | 30.6.07 | सजा जुर्माना |
| 2 | 117/26.7.09 | 13 RPGO | 30.7.09 | सजा जुर्माना |

9. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन हेतु निम्नलिखित तीन शर्तो का होना आवश्यक है :–

10. क– वह व्यक्ति गुण्डा हो ।

ख– (i) उसकी गतिविधियों से जिले/किसी भाग में व्यक्तियों की सम्पत्ति को खतरा उत्पन्न कराने या नुकसान कराने वाली है ।

(ii) वह व्यक्ति धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i ) से (vi ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध या कृत्य के करने या उसके लिए दुष्प्रेरित करने में लगा हुआ है ।

ग– साक्षीगण अपने शरीर या सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में आशंकित होने के कारण उसके विरुध्द साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं है ।

11. राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2–ख(v) अनुसार राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 के अधीन कम से कम दो बार दोष सिध्द होने पर वह गुण्डा की श्रेणी में आता है । अपीलार्थी के विरुध्द धारा 13 आरपीजीओ के अन्तर्गत कुल 7 मुकदमे दर्ज हुए एवम् 2 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सजायाब किया गया है । इस प्रकार अपीलार्थी धारा 2 ख (v) के अनुसार गुण्डा की परिभाषा में आता है । प्रकरण में रपट रोजनामचा आम दिनांक 4.10.12 एवं इस्तगासा दिनांक 28.1.13 अनुसार अपीलान्ट सट्टा की खाईवाली करने का आदी है, जिससे गरीब जनता को आर्थिक नुकसान होता है तथा युवापीढी पर बुरा असर पड़ता है । इसकी आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढ रही है । गैरसायल का इलाका थाना क्षेत्र में भय व्याप्त है तथा इसके खिलाफ आम नागरिक रिपोर्ट/बयान देने से खौफ खाते हैं । गैरसायल की गतिविधियों से क्षेत्र की जनता की सम्पत्ति एवं सुरक्षा को खतरा है । अतः गैर सायल का जिले से बाहर होना जनता के हित में है ।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 ख की उप धारा ( v ) के अन्तर्गत गुण्डे की परिभाषा में आता है । अपीलार्थी का लोगों में भय है एवम् भय के कारण आमजन अपीलान्ट क विरुध्द शिकायत करने से डरते हैं । अपीलान्ट के भय से आमजन की सम्पत्ति को खतरा एवं संत्रास है । इस प्रकार अपीलान्ट के विरुध्द गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड ''क'' ''ख'' ''ग'' में विनिर्दिष्ट तीनें शर्ते पूरी होने से न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट को 6 माह की अवधि के लिए जिला क्षेत्र श्रीगंगानगर से निष्कासित करते हुए निष्कासित अवधि में जिला हनुमानगढ में थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ जं0 को उपस्थिति रिपोर्ट दिये जाने एवम निष्कासित अवधि में मुख्यालय हनुमानगढ जं0 में रहने के आदेश दिये गये, वह उचित आदेश है । अतः अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रट (नगर) श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.10.18 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

13. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति सहित लौटाया जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 22.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर